

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)
संख्या- 1013 /XXIV(1)/2011-45/2008

देहरादून, 31 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011

1. संक्षिप्त शीर्षक, नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार:

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

भाग-1

प्रारम्भिक

2. परिभाषाएँ:

- (1) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
 - (क) "अधिनियम" से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35 वर्ष 2009) अभिप्रेत है;
 - (ख) "शैक्षणिक प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अर्थात् राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
 - (ग) "शैक्षिक सत्र" से प्रत्येक वर्ष के माह अप्रैल से मार्च तक चलने वाला शैक्षिक सत्र अभिप्रेत है;

- (घ) **“ऑगनवाड़ी”** से भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समेकित बाल विकास योजना के अधीन स्थापित ऑगनवाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ड.) **“नियत तिथि”** से दिनांक 01 अप्रैल, 2010 अभिप्रेत है;
- (च) **“बच्चे”** से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए **“बच्चे”** से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है;
- (छ) **“अपवंचित वर्ग के बच्चे”** से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अनाथ बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हों, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों और जिनकी वार्षिक आय ₹ 80,000/- से कम हो, एच0आई0वी0+बच्चे या एच0आई0वी0+माता-पिता के बच्चे तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) में यथा परिभाषित विकलांग माता-पिता (कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) जिनकी वार्षिक आय ₹ 4.5 लाख से कम हो, के बच्चे अभिप्रेत हैं, और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चे भी सम्मिलित हैं;

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 12 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपवंचित समूह के समस्त बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाएं अनिवार्य रूप से प्रवेशित की जायेंगी;

- (ज) **“कमजोर वर्ग के बच्चे”** से ऐसे बच्चे अभिप्रेत हैं जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 55,000/- या उससे कम हो, और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले कमजोर वर्ग के बच्चे भी सम्मिलित हैं;
- (झ) **“निःशुल्क सुविधाओं”** से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानकानुसार बच्चों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सुविधाएं अभिप्रेत है;
- (ञ) **“सरकार”** से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ट) **“राज्यपाल”** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

- (ठ) **“स्थानीय प्राधिकारी”** से नगर पालिका कार्पोरेशन अथवा नगर पालिका परिषद् अथवा जिला पंचायत अथवा नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत, विद्यालय प्रबन्धन समिति के अतिरिक्त उपखण्ड शिक्षाधिकारी, खण्ड शिक्षाधिकारी, अपर जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक) और जिला शिक्षाधिकारी अभिप्रेत है, और इसमें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं;
- (ड) **“निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय”** इन नियमों के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों हेतु “निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय” से बच्चे के निवास स्थान से प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से 5) हेतु 01 किमी० की पैदल दूरी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-6 से 8) हेतु 03 किमी० की पैदल दूरी अभिप्रेत है। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (दो), (तीन) तथा (चार) में वर्णित विद्यालयों हेतु निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय से ऐसे विद्यालय अभिप्रेत होंगे जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए;
- (ढ) **“छात्र संचयी अभिलेख”** से सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर बच्चे की प्रगति के अभिलेख अभिप्रेत है;
- (ण) **“अनुसूची”** से अधिनियम के परिशिष्ट में संलग्नक अनुसूची अभिप्रेत है;
- (त) **“विद्यालय मानचित्रण”** से अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजनार्थ सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अन्तर को कम करने के लिए विद्यालय स्थान के नियोजन तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु निर्धारित मान और मानक पर आधारित विद्यालयी सुविधाएँ अभिप्रेत है;
- (थ) **“विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय”** से केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय अथवा ऐसे किसी विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है;
- (द) **“राज्य”** से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (2) इस नियमावली में **“प्रपत्र”** से नियमावली के परिशिष्ट एक से छः में संदर्भित किये गये प्रपत्र अभिप्रेत है।

- (3) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए परिभाषित है।

भाग-2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

3. बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था:

- (1) खण्ड शिक्षा अधिकारी(अथवा इस हेतु अधिकृत अधिकारी) द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति के सहयोग से 6-14 वय वर्ग के विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों (कभी विद्यालय न गये तथा शालात्यागी)/ऐसे बच्चों जिन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता है को चिन्हित करके निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय में उनकी आयुसंगत कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन समिति तथा शिक्षक संकुल समन्वयक के सहयोग से बच्चों के सीखने के स्तर का आंकलन करके आवश्यकतानुसार उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित रीति से करेंगे:-

- (क) विशेष प्रशिक्षण, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में उल्लिखित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से निर्मित तथा आयुसंगत अधिगम सामग्री के अनुरूप अनुमोदित प्रशिक्षण पैकेज के आधार पर दिया जाएगा;
- (ख) विशेष प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर में कक्षाएँ संचालित करके अथवा आवश्यकतानुसार इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुमोदित (जैसा भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए) सुरक्षित आवासीय व्यवस्था करके प्रदान किया जाएगा;
- (ग) विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों, सेवानिवृत्त अध्यापकों, महिला समाख्या, स्वयंसेवी संस्थाओं, किसी भी श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालयों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर नामित अधिकृत संस्था द्वारा विशेष रूप से चयनित अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा;

- (घ) विशेष प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी, जिसमें सीखने की प्रगति (लर्निंग प्रोग्रेस) के सावधिक आंकलन के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा;
- (ङ.) विद्यालय प्रबन्धन समिति विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किये गये बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए रणनीति निर्मित करेगी, यह उसके विद्यालय विकास योजना का मुख्य अंग होगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उनके ठहराव एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्राविधान करें।
- (2) विशेष प्रशिक्षण के उपरान्त आयुसंगत कक्षा में प्रवेश देने के बाद अध्यापक द्वारा बच्चे पर विशेष ध्यान रखा जायेगा ताकि बच्चा भावनात्मक एवं शैक्षणिक रूप से उस कक्षा के बच्चों के साथ सफलतापूर्वक समायोजित हो सके।

भाग-3

राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

(क) सामान्य उत्तरदायित्व:

4. निकट (पड़ोस) का क्षेत्र या सीमाएं:-

- (1) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों के लिये निकट (पड़ोस) का क्षेत्र एवं सीमा निम्नवत होगी-
- (क) कक्षा-1 से 5 के बच्चों के सम्बन्ध में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सेवित क्षेत्र में बच्चे के निवास स्थान से एक किमी⁰ की पैदल दूरी पर ऐसी बस्तियों में की जायेगी, जिसकी जनसंख्या कम से कम 200 हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 6 से 11 वय वर्ग के कम से कम 25 बच्चे तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 40 बच्चे उस बस्ती में उपलब्ध हों और वे उस विद्यालय में नामांकन हेतु इच्छुक हों;
- (ख) कक्षा-6 से 8 के बच्चों के सम्बन्ध में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सेवित क्षेत्र में बच्चे के निवास स्थान से तीन किमी⁰ की पैदल दूरी पर ऐसी बस्तियों में की जायेगी जिसकी जनसंख्या कम से कम 400 हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पोषक (फीडर) प्राथमिक विद्यालय की कक्षा-5 में अध्ययनरत बच्चों की संख्या 25 तथा शहरी क्षेत्रों हेतु पोषक (फीडर) प्राथमिक विद्यालय की

कक्षा-5 में अध्ययनरत बच्चों की संख्या 40 से कम न हो और वे उस विद्यालय में नामांकन हेतु इच्छुक हों।

- (ग) राज्य प्रत्येक 03 वर्ष में प्रत्येक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति का आंकलन करेगा तथा नियम 4 के उपनियम (1) (क) तथा (ख) में वर्णित मानकों को पूर्ण न करने वाले विद्यालयों की पुनर्स्थापना (Relocate) करने पर विचार कर सकता है।
- (2) कठिन धरातलीय प्रकृति वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित, सड़क विहीन क्षेत्र, भूस्खलन/भूकम्प से प्रभावित क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिसमें छात्रों को अपने घर से विद्यालय पहुँचने में खतरा हो, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी इन कठिनाइयों एवं इस प्रकार के खतरों को दूर करते हुए उपनियम (1) में निर्धारित की गयी सीमाओं को शिथिल करते हुए विद्यालयों की स्थापना पर विचार कर सकती है।
- (3) जहाँ तक सम्भव हो, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही स्थापित करने का प्रयास करेगी।
- (4) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में 6-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के आधार पर एक से अधिक निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय की स्थापना पर शिक्षा की पहुँच हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।
- (5) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसी छोटी बस्तियों के बच्चों के लिए, जहाँ उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आस-पास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसे बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करने पर विचार कर सकती है।
- (6) खण्ड शिक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आस-पास के ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करेगा, जहाँ बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है, और प्रत्येक बस्ती के लिए इस प्रकार की सूचना को सार्वजनिक करेगा।
- (7) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में बच्चों की पहुँच भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से बाधित न हो।
- (8) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (ग) एवं धारा 9 की उपधारा (ग) के प्रयोजनों की पूर्ति के लिये राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग का बच्चा और अपवंचित समूह का बच्चा कक्षा-कक्ष, मध्याह्न भोजन के

दौरान, पानी पीने के समय तथा शौचालय के उपयोग अथवा किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के भेद-भाव का शिकार न हो।

- (9) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में किसी भी बच्चे के साथ जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर अथवा किसी अन्य रूप में भेद-भाव न हो।
- (10) अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (छ) के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार/खण्ड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहायता से प्रत्येक विद्यालय के सेवित क्षेत्र के मानचित्रण के आधार पर विद्यालय से बाहर रह गये एवं शालात्यागी बच्चों की पहचान, वर्गीकरण एवं उनकी प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु रणनीति का निर्माण निम्नवत करेगी –
- (क) विद्यालय प्रबन्धन समिति के निर्णयों/संस्तुतियों के आधार पर विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा;
- (ख) विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में शामिल हुए बच्चों के ठहराव एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाएगा;
- (ग) विद्यालय से बाहर रह गये/शालात्यागी बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निर्मित रणनीति का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी ताकि निहित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके;
- (घ) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति के सहयोग से विशेष प्रशिक्षणों के दौरान बच्चों के शैक्षणिक अभिलेखों का सन्धारण किया जाएगा ताकि मुख्य धारा में शामिल होने के बाद इन बच्चों की विषयवार अपेक्षित सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जा सके;
- (ङ) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विशेष प्रशिक्षणों हेतु चयनित शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं नियमित अनुसमर्थन किया जाएगा।
- (11) राज्य सरकार, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क सुविधाएँ जैसे-पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, समस्त बालिकाओं हेतु गणवेश तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी0पी0एल0 परिवारों के बालकों को गणवेश, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त निःशुल्क सुविधाएं भी अधिसूचित की जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत प्रवेशित बच्चों हेतु अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) तथा (चार) में वर्णित विद्यालय निःशुल्क सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

ऐसे समस्त बच्चों, जो कि छितरी जनसंख्या वाली दूरस्थ बस्तियों में निवास करते हैं, जहाँ पर उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आस-पास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर विद्यालय की स्थापना सम्भव न हो तथा शहरी क्षेत्र के अपवंचित वर्ग के बच्चों/शहरी क्षेत्र के संरक्षक विहीन ऐसे बच्चों, जहाँ पर भूमि की अनुपलब्धता के कारण विद्यालयों की स्थापना सम्भव न हो, हेतु निःशुल्क परिवहन/एस्कार्ट सुविधा निःशुल्क सुविधाओं के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

- (12) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड(तीन) तथा (चार) में परिभाषित विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटाधारी बच्चों के प्रवेश हेतु एक "प्रवेश पंचांग" (Calender of Admission) जारी किया जायेगा जो इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश सम्बन्धी नियमों को उद्धृत कर रहा हो। जो कोई विद्यालय इन नियमों का उल्लंघन करेंगे अथवा प्रवेश प्रक्रिया को 'प्रवेश पंचांग' नियमों के विपरीत करता पाया जाता है तो ऐसे विद्यालयों को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार के प्रत्येक स्तर के कार्यकर्ता तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति सामान्य जनता को अधिनियम तथा नियमावली के प्राविधानों की सम्पूर्ण जानकारी देंगे।
- (14) प्रत्येक वर्ष 30 मई से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अपने जनपद से सम्बन्धित प्रत्येक विद्यालय हेतु छात्र-शिक्षक अनुपात को अधिसूचित करेंगे तथा इसे सार्वजनिक करेंगे, तदनुसार प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह तक जिला शिक्षा अधिकारी अध्यापकों की पुनर्पदस्थापना सुनिश्चित कर सकते हैं।
- (15) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे विद्यालयों में, जिनमें प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं है, में जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे को उचित सुविधा प्रदान कर बच्चों का स्थानान्तरण ऐसे अनुमोदित निकट (पड़ोस) के विद्यालय में करेगा जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने की सुविधा हो।
- (16) राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड प्रति वर्ष "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" क्रियान्वयन की स्थिति के सम्बन्ध में वार्षिक आख्या में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ख) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना:

5. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0ई0आर0टी0) के उत्तरदायित्व:

- (1) राज्य के समस्त विद्यालयों में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करना एस0सी0ई0आर0टी0 का दायित्व होगा। इसके लिए एस0सी0ई0आर0टी0 सम्पूर्ण

विद्यालयी क्रियाकलापों, शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक सम्प्राप्ति व अन्य गतिविधियों हेतु मानक व मानदण्ड निर्धारित करेगी। ये मानदण्ड बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति, अन्य गतिविधियों में सम्प्राप्ति, शिक्षकों तथा विद्यालयों के लिए भी निर्धारित व प्रसारित किये जाएंगे।

- (2) राज्य के सभी राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर के आंकलन के नियमित अनुश्रवण तथा बाह्य संस्थाओं से मूल्यांकन करवाने का उत्तरदायित्व एस0सी0ई0आर0टी0 का होगा। अनुश्रवण आख्याओं के आधार पर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा राज्य की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (3) प्रस्तुत की गयी आख्याओं के आधार पर उन बच्चों के लिए, जो निर्धारित अधिगम स्तर सम्बन्धी मानदण्ड प्राप्त नहीं कर पाये हैं, एस0सी0ई0आर0टी0 प्रत्येक कक्षा/स्तर व प्रत्येक विषय के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (4) शिक्षकों के स्तर के आंकलन हेतु मानदण्डों के निर्धारण का उत्तरदायित्व एस0सी0ई0आर0टी0 का होगा।
- (5) प्रत्येक स्तर पर अधिगम सम्प्राप्ति में पिछड़ रहे बच्चों, विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों तथा निर्धारित समयावधि के बाद प्रविष्ट बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पैकेज का निर्धारण एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा किया जाएगा।
- (6) एस0सी0ई0आर0टी0 शिक्षकों के सेवा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों तथा मानदण्डों के अनुरूप परिवर्द्धित करेगा।
- (7) एस0सी0ई0आर0टी0 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को बाह्य रूप से मूल्यांकित करवायेगा तथा मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से अद्यतन करेगा।

6. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डायट)/जिला संसाधन केन्द्र(डी0आर0सी0) के उत्तरदायित्व:

- (1) डायट मेन्टर प्रत्येक माह विद्यालयों का अकादमिक अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे ताकि वे विद्यालयों की अकादमिक समस्याओं को समझ सकें तथा अध्यापकों को कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु परामर्श दे सकें।

- (2) डायट स्तर पर एक अकादमिक समिति गठित की जाएगी। यह समिति जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), खण्ड शिक्षा अधिकारी, डायट मेन्टर्स, विकासखण्ड संसाधन समन्वयक, संकुल संसाधन समन्वयक से प्राप्त अकादमिक अनुश्रवण आख्याओं का विश्लेषण कर प्रति त्रैमास हेतु अकादमिक कार्ययोजनाएं तैयार करेंगे तथा तदनुसार क्रियान्वित करेंगे।

7. जिला शिक्षा अधिकारी, अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी के उत्तरदायित्व:

- (1) जिला शिक्षा अधिकारी तथा अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)/जिला परियोजना अधिकारी प्रत्येक माह विद्यालयों का अकादमिक अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।
- (2) अनुश्रवण आख्याएं सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवायी जायेंगी।

8. खण्ड शिक्षा अधिकारी, उपखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड संसाधन समन्वयक तथा संकुल संसाधन समन्वयक के उत्तरदायित्व:

- (1) खण्ड शिक्षाधिकारी तथा उपखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह अपने विकासखण्ड के विद्यालयों का अकादमिक अनुश्रवण करेंगे तथा इन विद्यालयों को अकादमिक अनुसमर्थन देंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारी अनुश्रवण आख्या को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायेंगे।
- (2) खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा उपखण्ड शिक्षा अधिकारी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता व कमियों की सूचना रखेंगे तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- (3) ब्लॉक संसाधन समन्वयक भी प्रत्येक माह विद्यालयों का अकादमिक अनुश्रवण करेंगे तथा इन विद्यालयों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करेंगे। ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयक इन विद्यालयों की प्रगति का विश्लेषण कर खण्ड शिक्षाधिकारी को अवगत करायेंगे।
- (4) संकुल संसाधन समन्वयक प्रत्येक माह विद्यालयों का अकादमिक अनुश्रवण करेंगे तथा इन विद्यालयों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करेंगे। संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक भी इन विद्यालयों की प्रगति का विश्लेषण कर खण्ड शिक्षाधिकारी को अवगत करायेंगे।
- (5) विकासखण्ड संसाधन समन्वयक, संकुल संसाधन समन्वयक तथा उपखण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त अनुश्रवण आख्याओं को संकलित करने के पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायेंगे।

9. प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों के उत्तरदायित्व:

- (1) विद्यालय स्तर पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति/गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व समस्त शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का होगा। प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तथा अन्य सभी अध्यापक बच्चों की सतत् प्रगति सुनिश्चित करते हुए अभिलेखों को भी विधिवत व्यवस्थित रखेंगे।
- (2) विद्यालय में बच्चों के अधिगम स्तर के नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तथा कक्षा अध्यापक/विषय अध्यापकों का होगा। तदनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भी सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।
- (3) प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन/आंकलन का उत्तरदायित्व स्वयं शिक्षक का होगा। यह आंकलन प्रत्येक बच्चे हेतु सतत् एवं व्यापक होगा। ऐसे बच्चों जो कि अपेक्षित अधिगम स्तरों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे हेतु शिक्षकों को उत्तरदायी माना जायेगा।
- (4) प्रत्येक राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय में एक बॉक्स फाइल होगी। वर्णित बॉक्स फाइल प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर प्रत्येक बच्चे ने उस दिन क्या सीखा उसे वह स्वयं अपने शब्दों में एक पेज पर लिखेगा और ये पेज उस बच्चे की बॉक्स फाइल में संकलित होते रहेंगे। इस प्रकार बच्चे की प्रगति को किसी भी समय किसी व्यक्ति या निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अवलोकित किया जा सकेगा।

10. नियम 6 से 9 में वर्णित नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध सेवा नियमावली के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ग) बच्चे का अभिलेख:

11. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव:

- (1) खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने सेवित क्षेत्रान्तर्गत घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बच्चों का जन्म से 14 वर्ष की आयु तक का अभिलेख संधारित करेंगे।
- (2) उपनियम (1) में वर्णित अभिलेखों का प्रतिवर्ष अद्यतनीकरण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।
- (3) उपनियम (1) में वर्णित अभिलेखों को पारदर्शिता के साथ संधारित किया जायेगा तथा जन-साधारण के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा, ताकि धारा 9 की उपधारा (ड.) के प्रावधानों के अनुरूप इसका उपयोग किया जा सके।

- (4) उपनियम (1) में वर्णित अभिलेखों में बच्चों के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाओं को सम्मिलित किया जाएगा:-
- (क) नाम, लिंग, जन्म तिथि(जन्म प्रमाण-पत्र संख्या यदि उपलब्ध हो) जन्म स्थान;
- (ख) माता-पिता/अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय व शैक्षिक स्थिति;
- (ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्र का विवरण जहाँ छः वर्ष की आयु तक बच्चा रहा है;
- (घ) प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालय का विवरण जहाँ बच्चे ने प्रवेश लिया;
- (ङ) बच्चे का वर्तमान पता;
- (च) कक्षा जिसमें बच्चा पढ़ रहा हो;
- (छ) यदि स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 6-14 वयवर्ग के किसी बच्चे ने शिक्षा अधूरी छोड़ दी है तो उसका कारण सहित विवरण;
- (ज) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के अन्तर्गत यदि बच्चा अपवंचित वर्ग का है तो उसका विवरण;
- (झ) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत यदि बच्चा कमजोर वर्ग का है तो उसका विवरण;
- (ञ) (एक) प्रवजन अथवा कम जनसंख्या के सापेक्ष प्रभावित बच्चे (दो) आयु संगत प्रवेश लेने वाले बच्चे तथा विकलांगता युक्त बच्चे, (तीन) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण/आवासीय सुविधाएं/परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी हैं का विवरण।
- (5) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का नाम विद्यालय द्वारा जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहे।
- (6) जिला शिक्षाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उपनियम (5) में वर्णित सूचनाएं जन साधारण के अवलोकनार्थ जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित एवं अद्यतन रहें।

भाग-4

विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

12. कमजोर वर्ग एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों का प्रवेश:-

- (1) निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालय के सम्बन्ध में नियम 4 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा सीमाएँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के परिप्रेक्ष्य में हुए नामांकन के सम्बन्ध में भी लागू होंगी;

परन्तु, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में संदर्भित बच्चों के लिए सीटों का अपेक्षित प्रतिशत भरने के प्रयोजन के लिए विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ इन सीमाओं को विस्तारित कर सकते हैं परन्तु इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्ण संतुष्ट हो जाना चाहिए कि निर्धारित सीमा में सीटों का अपेक्षित प्रतिशत भरने के लिए पात्र बच्चे उपलब्ध नहीं हैं।

- (2) खण्ड शिक्षा अधिकारी विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहायता से अपने सेवित क्षेत्र में आने वाले अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को चिन्हित करेंगे जोकि नियम 2 के उपनियम (छ) एवं उपनियम (ज) में परिभाषित हैं।
- (3) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की प्रवेश की प्रक्रिया निम्नवत होगी—

(एक) बच्चों तथा विद्यालयों का चिन्हांकन:-

- (क) खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने सेवित क्षेत्र से सम्बन्धित अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर सूचीबद्ध करेंगे। यह सूची वार्डवार तैयार की जायेगी। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, तथा घुमन्तू बच्चों का सूचीकरण उनके माता-पिता का पंचायत मतदान सूची में नामांकन, घर-घर सर्वेक्षण, राशन कार्ड अथवा अन्य इस प्रकार के अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) खण्ड शिक्षा अधिकारी अनाथ बच्चों का चिन्हांकन समाज कल्याण विभाग के सहयोग से सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु अनाथालयों में रहने वाले अनाथ बच्चों के चिन्हांकन हेतु अनाथालयों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- (ग) खण्ड शिक्षा अधिकारी अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में वर्णित विद्यालयों को वार्डवार सूचीबद्ध करेंगे।

(दो) प्रवेश प्रक्रिया:-

अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार वर्णित विद्यालयों (धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में वर्णित विद्यालय अर्थात विशिष्ट श्रेणी व असहायता प्राप्त विद्यालय) में कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों पर अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु प्रवेश

प्रक्रिया अधिनियम के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर की जायेगी।

- (4) प्रत्येक विद्यालय (अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में वर्णित विद्यालयों सहित) यह सुनिश्चित करेंगे कि अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के नामांकित बच्चों (अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्राविधानों के अनुसार प्रवेशित बच्चों सहित) को कक्षा में, मध्याह्न भोजन वितरण के समय, खेल के मैदान में अथवा अन्य सामूहिक सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, आई0सी0टी0, छात्रवृत्ति आदि के प्रयोग में दूसरे बच्चों से अलग नहीं किया जाएगा और इन बच्चों के लिए कक्षा-कक्ष का स्थान एवं समय अन्य बच्चों की कक्षा से अलग नहीं होगा।
- (5) प्रत्येक विद्यालय शतप्रतिशत नामांकन के अतिरिक्त प्रत्येक बच्चे की प्रतिदिन शतप्रतिशत उपस्थिति हेतु प्रयास करेगा। प्रत्येक विद्यालय अनियमित रूप से उपस्थित रहने वाले बच्चों के माता-पिता से प्रति सप्ताह संवाद स्थापित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त करेगा।
- (6) ऐसे बच्चे जो नियमित अथवा अनियमित रूप से लगातार 90 कार्यदिवसों में से 60 कार्य दिवसों से अधिक अनुपस्थित रहेंगे, को अस्थाई शालात्यागी बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा तथा ऐसे बच्चों की निःशुल्क सुविधाएं जैसे मध्याह्न भोजन सुविधा समाप्त कर दी जायेगी परन्तु यदि ऐसा बच्चा पुनः विद्यालय में प्रवेशित हो जाते हैं तो उनकी निःशुल्क सुविधाएं पुनः प्रारम्भ कर दी जायेंगी। विद्यालय विशिष्ट प्रशिक्षणों के माध्यम से उन्हें पुनः नामांकित करने हेतु प्रयास करेगा।
- (7) खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखण्ड से सम्बन्धित समस्त शालात्यागी बच्चों का अभिलेख रखेंगे तथा ऐसे बच्चों को नामांकित करने हेतु प्रयास करेंगे।
- (8) ऐसे प्रवासी बच्चों जो कि ऐसे स्थलों जहाँ पर वे प्रवास करने हेतु जा रहे हैं, पर अपने मूल विद्यालय से बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किये हुए पलायन करते हैं, को शालात्यागी बच्चों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा जब ये बच्चे अपने मूल स्थलों को वापस आयेंगे, सम्बन्धित विद्यालय ऐसे बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का मूल्यांकन कर उन्हें उनकी आयु के अनुसार दक्षता प्राप्त करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण का प्राविधान करेगा।
- (9) प्रत्येक विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगा तथा प्रत्येक बच्चे की आवश्यक अधिगम निष्पत्ति/सम्प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।

- (10) अधिनियम में परिभाषित प्रत्येक विद्यालय अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने के समय कक्षावार शुल्क सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा।
- (11) किसी भी बच्चे के माता-पिता अथवा अभिभावक के निवेदन करने पर कोई भी विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मना अथवा देरी नहीं करेगा। विद्यालय शैक्षिक सत्र के दौरान बच्चे के विद्यालय छोड़ने पर जारी किये जाने वाले स्थानान्तरण प्रमाण पत्र हेतु किसी भी प्रकार के शुल्क भुगतान हेतु माँग नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के प्राविधानानुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत होंगे, परन्तु यदि बच्चे के माता-पिता/अभिभावक स्थानान्तरण प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अनुरोध करते हैं तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रति हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत होंगे।
- (12) प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर के आधार पर डायस प्रपत्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

13. अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति:

- (1) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट ऐसे विद्यालय जो कि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्राविधानानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रहा हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव/वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित सीमा तक प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। निजी विद्यालयों द्वारा बच्चे को अन्य किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क/प्रभार अदा करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा। विद्यालयों को प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय सारणी का निर्धारण भी उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित अथवा नियंत्रित विद्यालयों पर अपने निजी मदों, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त मदों अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से प्राप्त मदों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा पर कुल वार्षिक आवर्ती व्यय को ऐसे विद्यालयों में नामांकित कुल बच्चों की संख्या से भाग देने पर प्रति छात्र व्यय निर्धारित किया जायेगा।

- (3) यदि अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) में वर्णित कोई विद्यालय, जिसके द्वारा भूमि, भवन, उपकरण या कोई अन्य सुविधाएँ या तो निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त करने के कारण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहाँ ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।
- (4) शुल्क की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यालय को पृथक से बैंक खाता खोलना होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) ऐसे असहायता प्राप्त निजी विद्यालयों, जो कि पड़ोसी विद्यालय के रूप में अधिसूचित विद्यालयों के अतिरिक्त हों, में प्रवेशित बच्चे ऐसे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए दावा प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे।
- (6) खण्ड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु किसी बच्चे का दोहरा नामांकन न किया गया हो।
- (7) राज्य सरकार 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत निजी/असहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रविष्ट बच्चों को ऐसी समस्त निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी जो कि राजकीय विद्यालयों हेतु समय-समय पर विहित की जायें। जैसे-निःशुल्क गणवेश, मध्याह्न भोजन आदि।

14. प्रवेश प्रक्रिया में कैपिटेशन शुल्क एकत्रित करने तथा अनुवीक्षण प्रक्रिया का निषेध:

- (1) कोई भी विद्यालय बच्चों को प्रविष्ट करते समय अथवा बच्चे के उस विद्यालय में ठहराव की अवधि में कैपिटेशन शुल्क एकत्रित/प्रभारित नहीं करेगा।
- (2) कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में प्रवेश देते समय अनुवीक्षण प्रक्रिया (बच्चे हेतु लिखित अथवा मौखिक परीक्षा तथा माता-पिता के साक्षात्कार सहित) नहीं अपनायेगा।
- (3) नियम 14 के उपनियम (1) तथा (2) में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी विद्यालय अधिनियम में वर्णित दण्ड का भागीदार होगा।
- (4) नियम 14 के उपनियम (1) तथा (2) में वर्णित प्राविधानों का तीन से अधिक बार उल्लंघन करने पर ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

15. आयु सम्बन्धी दस्तावेज:

प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवेश हेतु किसी बच्चे की आयु का निर्धारण जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के प्राविधानों के अनुसार जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा ऐसे दस्तावेज के आधार पर, जो जन्म का साक्ष्य हो, के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश हेतु निम्न में से कोई एक अभिलेख भी मान्य होगा—

- (क) अस्पताल/ए0एन0एम0 का रजिस्टर अभिलेख;
- (ख) आंगनवाड़ी का अभिलेख;
- (ग) ग्राम पंजिका/परिवार रजिस्टर;
- (घ) अभिभावक/माता-पिता द्वारा बच्चे की आयु के सम्बन्ध में दिया गया घोषणा पत्र, परन्तु एक बार घोषित आयु अन्तिम मानी जायेगी।

16. प्रवेश हेतु विस्तारित अवधि:

- (1) प्रवेश हेतु विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक सत्र आरम्भ होने के तीन माह की अवधि के अन्तर्गत (31 जुलाई) होगी।
- (2) यदि प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात भी इच्छित है तो ऐसे बच्चे को प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा।
- (3) विस्तारित अवधि के पश्चात प्रविष्ट किया गया बच्चा शैक्षणिक प्राधिकारी (एस0सी0ई0आर0टी0) द्वारा विकसित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का पात्र होगा। अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में वर्णित विद्यालय विशिष्ट प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 से सहयोग ले सकते हैं।

17. विद्यालयों की मान्यता:—

- (1) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियन्त्रित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय की मान्यता हेतु प्रत्येक जनपद में चार सदस्यीय समिति निम्नवत् गठित की जाएगी—
 - (क) जिला शिक्षाअधिकारी – अध्यक्ष;
 - (ख) अपर जिला शिक्षाअधिकारी (बे0) – सदस्य सचिव;
 - (ग) जिलाधिकारी द्वारा नामित एक पदाधिकारी – सदस्य; और
 - (घ) सम्बन्धित विकासखण्ड के विकासखण्ड शिक्षाअधिकारी – सदस्य।
- (2) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारित अथवा नियन्त्रित विद्यालयों को छोड़कर नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व अथवा बाद में

स्थापित प्रत्येक विद्यालय नियमावली के प्रवृत्त होने के 03 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी, जो धारा 18 के अन्तर्गत इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष इस हेतु **परिशिष्ट-एक** में निर्धारित **प्रपत्र-1** पर स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र/स्वघोषणा पत्र प्रेषित किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना पत्र/स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात सम्बन्धित विद्यालय प्रार्थना पत्र की प्राप्ति रसीद तथा पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगे।

- (3) **प्रपत्र-1** पर प्राप्त घोषणा पत्र को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्तर्गत जनसामान्य के अवलोकनार्थ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (4) ऐसे विद्यालय, जिनके द्वारा निर्धारित **प्रपत्र-1** पर भर कर दिये गये स्वघोषणा पत्र में यह दावा किया गया हो कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 19 में निर्धारित समस्त मानक एवं स्तर की पूर्ति कर ली गई है, का स्थलीय निरीक्षण **प्रपत्र-1** के आधार पर करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर करा लिया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी तथा स्थलीय निरीक्षणकर्ता को मान्यता जारी करने से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं प्राप्त करने तथा स्वघोषणा पत्र में उल्लिखित समस्त जानकारियों से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। विद्यालयों की मान्यता की स्वीकृति के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियाँ प्रपत्र में उल्लिखित कर दी जायेंगी।
- (5) जिला शिक्षा अधिकारी यदि संतुष्ट हो जाते हैं कि अधिनियम की धारा 19 तथा 25 में वर्णित शर्तों एवं मानकों को विद्यालय पूर्ण कर रहा है, तो ऐसी दशा में जिला शिक्षा अधिकारी **परिशिष्ट-दो** में उल्लिखित **प्रपत्र-2** पर मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। यह प्रमाण पत्र 05 साल के लिए मान्य होगा तथा उपनियम (4) में उल्लिखित निरीक्षण के 30 दिनों के अन्तर्गत निर्गत किया जायेगा। मान्यता प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा। **(परिशिष्ट-चार)**
 - (क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 की धारा 21) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है;
 - (ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु संचालित नहीं हो रहा है;

- (ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित है;
- (घ) विद्यालय भवन या अन्य ढाँचागत सुविधायें या प्रांगण मात्र शैक्षिक प्रयोजनों तथा दक्षता विकास हेतु प्रयुक्त किया जाता है;
- (ङ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है;
- (च) विद्यालय ऐसे समस्त विवरण एवं सूचनायें उपलब्ध करायेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकृत अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माँगी जायेगी, साथ ही विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने अथवा मान्यता की शर्तों की अनवरत् पूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा;
- (छ) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 एवं अनुसूची में निहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा;
- (ज) विद्यालय अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के समस्त प्राविधानों का पालन करेगा;
- (झ) विद्यालय अपने निकट (पड़ोस) के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों की सीमा तक प्रवेश देगा। सहायता प्राप्त विद्यालय उनको प्राप्त वार्षिक आवर्ती सहायता के अनुपात में अथवा कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करेगा;
- (ञ) ऐसे विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत अपने निकट (पड़ोस) के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षाएं कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश प्रदान करेंगे;
- (ट) प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को बच्चों से प्रभारित की जाने वाले शुल्क का विवरण उपलब्ध करायेंगे;
- (ठ) विद्यालय बच्चों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क प्रभारित नहीं करेंगे तथा बच्चों के प्रवेश के समय बच्चे अथवा उसके माता-पिता अथवा अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे;

- (ड) मान्यता प्रदान की जाने वाली शर्तों का उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर दी जायेगी;
- (ढ) विद्यालय प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर के आधार पर डायस प्रपत्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
- (6) ऐसे विद्यालय जो कि अधिनियम की धारा 25 में उल्लिखित मानकों को पूर्ण करते हैं परन्तु अधिनियम की अनुसूची में निहित मानकों तथा मानदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं, को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार नियमावली के लागू होने के 03 वर्ष की अवधि तक विद्यालय संचालन हेतु औपबन्धिक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। औपबन्धिक प्रमाण पत्र **परिशिष्ट—तीन** में संलग्न **प्रपत्र—3** पर जारी किया जायेगा;

परन्तु, यह कि ऐसे विद्यालय औपबन्धिक प्रमाण पत्र में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निहित मानकों एवं मानदण्डों को पूर्ण कर लेते हैं तब मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के पश्चात, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण संस्तुष्ट होने के पश्चात उपनियम (5) के अनुसार मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि ऐसे विद्यालय औपबन्धिक प्रमाण पत्र में दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत मान्यता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त समझी जायेगी तथा ऐसे विद्यालयों का संचालन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। जिला शिक्षा अधिकारी लिखित में ऐसे विद्यालयों को मान्यता न दिये जाने के कारणों को उल्लिखित करते हुए आदेश जारी करेंगे। ऐसा आदेश विद्यालय के मुख्य स्थानों पर चस्पा किया जायेगा तथा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त आदेश में ही उन निकटस्थ (पड़ोसी) विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालय के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा।

- (7) नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात कोई भी नया विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत बिना मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त किये हुये स्थापित नहीं किया जायेगा।
- (8) मान्यता सम्बन्धी शर्तों को सत्यापित करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक वर्ष विद्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं अथवा करवा सकते हैं।
- (9) जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालयों को मान्यता पंजीकरण संख्या आवंटित करेंगे।

- (10) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूचना वेबसाइट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

18. विद्यालयों की मान्यता का प्रत्याहरण:-

- (1) जहाँ समिति के सदस्यों अथवा जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं, या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट है कि नियम 17 के अन्तर्गत उपनियम (5) के अन्तर्गत मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एकाधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:-

(क) विद्यालय द्वारा मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अन्दर स्पष्टीकरण देने सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा;

(ख) निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी सात दिन की अवधि में एक समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे-

(एक) अपर जिला शिक्षाधिकारी (बे0) – सदस्य सचिव;

(दो) जिलाधिकारी द्वारा नामित एक पदाधिकारी – सदस्य;

(तीन) सम्बन्धित विकासखण्ड के विकासखण्ड शिक्षाअधिकारी – सदस्य; तथा

(चार) निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त समिति/संघ का एक सदस्य।

समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के बीस दिन की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी;

- (ग) समिति की आख्या तथा संस्तुति के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी आख्या प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्तर्गत मान्यता वापस लेने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। इस प्रकार के निर्णय को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक किया जायेगा तथा मान्यता की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को प्रेषित किया जायेगा, परन्तु मान्यता वापस लेने का कोई भी निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय को सुनवाई का एक अवसर दिये बिना नहीं किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रकार का कोई भी आदेश विद्यालयी शिक्षा निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जा सकेगा। विद्यालयी शिक्षा निदेशक मान्यता वापस लेने सम्बन्धी निर्णय प्रकरण प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्तर्गत निर्गत करेंगे।

- (2) मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालय के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा।
- (3) उपनियम (1) में वर्णित आदेश के विरुद्ध आदेश प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्तर्गत राज्य सरकार के समक्ष अपील की जा सकेगी। अपील प्राप्ति के दो माह के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आदेश पत्र निर्गत किया जायेगा। शासन द्वारा निर्गत आदेश अन्तिम होगा।
- (4) किसी भी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने अथवा मान्यता वापस लेने की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा ग्राम पंचायत/नगर निकायों को उपलब्ध करवायी जायेगी।

भाग-5

विद्यालय प्रबन्धन समिति

उत्तराखण्ड राज्य में विद्यालय प्रबन्धन समिति की संरचना तथा कार्य वही होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-158/XXIV(1)/2011-60/2010 दिनांक 09 फरवरी 2011 द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा जैसा कि समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जाए। शासनादेश के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन निम्नवत किया गया है-

19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति की संरचना तथा कार्य:-

- (1) अधिनियम की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) में वर्णित निजी/असहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के विद्यालयों में स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्यों, विद्यालय में

अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के माता-पिता अथवा अभिभावकों तथा अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया जाएगा।

(2) विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन के उद्देश्य निम्नवत् होंगे-

- (क) 6-14 वय वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा प्राविधानित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना;
- (ख) विद्यालय प्रबन्धन में अभिभावक एवं शिक्षकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना;
- (ग) प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिगत छात्र नामांकन, उनके विद्यालय में ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को प्राप्त करने हेतु समुदाय से सहयोग प्राप्त करना;
- (घ) सरकार व अन्य स्रोतों से विद्यालय को प्राप्त अनुदान एवं अन्य सुविधाओं के समुचित उपयोग हेतु प्रयास करना;
- (ङ) विद्यालय विकास हेतु समुदाय में विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना एवं संवेदनशीलता विकसित करना।

(3) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) में उल्लिखित विद्यालयों को छोड़कर सभी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेजों (जैसी भी स्थिति हो) में विद्यालय प्रबन्धन समिति निम्नवत् गठित की जाएगी:-

(एक) प्राथमिक विद्यालय:- विद्यालय प्रबन्धन समिति - प्राथमिक शिक्षा स्तर (कक्षा 01-05)।

(दो) उच्च प्राथमिक विद्यालय:- विद्यालय प्रबन्धन समिति - प्रारम्भिक शिक्षा स्तर (कक्षा 01- 08 अथवा कक्षा 06-08 जैसी भी स्थिति हो)।

(तीन) हाई स्कूल:-

(क) विद्यालय प्रबन्धन समिति (आर0टी0ई0 के अन्तर्गत)-प्रारम्भिक शिक्षा स्तर (कक्षा 01-08 अथवा कक्षा 06-08 जैसी भी स्थिति हो);

(ख) विद्यालय प्रबन्धन समिति (आर0एम0एस0ए0 के अन्तर्गत)- उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 09-10) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत पूर्व से गठित।

(चार) इण्टरमीडिएट कॉलेज:—

- (क) विद्यालय प्रबन्धन समिति (आर0टी0ई0 के अन्तर्गत) – प्रारम्भिक शिक्षा स्तर (कक्षा 01–08 अथवा कक्षा 06–08 जैसी भी स्थिति हो);
- (ख) विद्यालय प्रबन्धन समिति (आर0एम0एस0ए0 के अन्तर्गत)– माध्यमिक स्तर (कक्षा 09–12) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत पूर्व से गठित।

स्पष्टीकरण:— उक्त प्रस्तर (तीन) हाईस्कूल एवं प्रस्तर (चार) इण्टरमीडिएट कॉलेज के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रारम्भिक शिक्षा स्तर तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए पृथक-पृथक विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ गठित की जाएँगी।

- (4) विद्यालय प्रबन्धन समिति के निम्नलिखित दो मुख्य अंग होंगे:—
- (एक) आम सभा।
- (दो) कार्यकारी परिषद्।

20. विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा:—

- (1) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—
- (एक) विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के माता एवं पिता, माता-पिता के अन्यत्र निवास करने अथवा माता-पिता के न होने की स्थिति में बच्चे का एक अभिभावक।
- (दो) विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक।
- (तीन) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित ग्राम पंचायत, जिसमें विद्यालय स्थित है, के ग्राम प्रधान, उपप्रधान व निर्वाचित सदस्य तथा शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, के निर्वाचित सदस्य।
- (चार) सम्बन्धित ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव-पदेन सदस्य।
- (2) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के पदाधिकारी निम्नवत होंगे:—
- (एक) अध्यक्ष।
- (दो) उपाध्यक्ष।
- (तीन) सदस्य सचिव-प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक न होने की स्थिति में वरिष्ठतम शिक्षक।

- (3) उपनियम (2) में वर्णित विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के पदाधिकारियों का चुनाव आम सभा की प्रथम बैठक में किया जाएगा। आम सभा के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न कराने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
- (4) **अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष** पद के लिए केवल विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के **माता-पिता** ही उम्मीदवार हो सकेंगे।
- (5) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव **गुप्त मतदान प्रणाली** से किया जाएगा। आम सभा की प्रथम बैठक शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह के अन्दर आयोजित की जाएगी। आम सभा की प्रथम बैठक हेतु सदस्य सचिव द्वारा बैठक की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आम सभा के सभी सदस्यों को बैठक का एजेण्डा एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ लिखित रूप में प्रेषित की जाएँगी। व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के माध्यम से भी माता-पिता एवं अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। इस आशय की सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।
- (6) आम सभा की प्रथम बैठक में पदाधिकारियों के चुनाव कराये जाने के दृष्टिकोण से बैठक की तिथि को आम सभा के कुल सदस्यों में से तीस प्रतिशत सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- (7) आम सभा की प्रथम बैठक निर्धारित तिथि व समय पर प्रारम्भ होगी। सदस्य सचिव द्वारा बैठक की गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण होने पर बैठक प्रारम्भ करते हुए सभी सदस्यों को विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन, उद्देश्य, कार्य-दायित्व एवं पदाधिकारियों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी। तत्पश्चात अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग नामांकन पत्र भरवाये जाएँगे। नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवारों के नाम आम सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराने के आशय से सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु नामों की उद्घोषणा की जाएगी तथा नामों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। उसी समय मतदान एवं मतगणना हेतु समय निर्धारित करते हुए सभी सदस्यों को मतदान एवं मतगणना का समय सूचित किया जायेगा।
- (8) चुनाव हेतु निर्धारित समय पर आम सभा के सदस्यों द्वारा सादे कागज पर गुप्त रूप से अपनी अभिरुचि के अनुरूप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु घोषित उम्मीदवार का नाम अंकित कर मतदान हेतु निर्धारित पेटिका में डाल दिया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा आम सभा के सदस्यों की आम राय पर मतगणना एवं निर्वाचित सदस्यों की उद्घोषणा हेतु आम सभा के किन्हीं दो सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। उसी दिन

निर्धारित समय पर उपस्थित सदस्यों के समक्ष मतपेटिका को खोलकर मतों की गिनती की जाएगी तथा प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों को पंजिका में अभिलिखित करते हुए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

- (9) आम सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु अपनायी गई चुनाव प्रक्रिया की सम्पूर्ण कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा कार्यवाही पंजिका में उसी समय अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यवाही पंजिका पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। कार्यवाही पंजिका भविष्य में सदस्यों के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखी जाएगी, जिसे विद्यालय प्रबन्धन समिति के आम सभा के सदस्यों द्वारा अवलोकन हेतु माँगे जाने पर सदस्य सचिव द्वारा उन्हें अवलोकित करा दिया जायेगा।
- (10) आम सभा के सदस्यों तथा निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल सामान्यतः शैक्षणिक सत्र के अनुरूप एक वर्ष का होगा। अपवादस्वरूप शैक्षणिक सत्र 2010-11 में गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 मार्च 2012 तक होगा, बशर्ते कि उनके पाल्य 31 मार्च 2012 तक उस विद्यालय में अध्ययनरत हों।
- (11) उपनियम (1) के सम्बन्ध में किसी शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं के माता एवं पिता, माता एवं पिता के अन्यत्र निवास करने अथवा माता एवं पिता के न होने की स्थिति में बच्चे का एक अभिभावक विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा का स्वतः ही सदस्य बन जायेगा। किन्तु प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर आम सभा के उन माता एवं पिता अथवा अभिभावक सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, जिनके पाल्य विद्यालय से शिक्षा पूर्ण कर चुके होंगे अथवा अन्य विद्यालय में नामांकित हो गये होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे माता एवं पिता अथवा अभिभावकों की सदस्यता भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, जिनके पाल्य सम्बन्धित विद्यालय में नामांकित होने के बावजूद लगातार तीन माह से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हों परन्तु सम्बन्धित बच्चे के पुनः विद्यालय में नामांकित होने पर सम्बन्धित माता एवं पिता अथवा अभिभावक की सदस्यता पुनः बहाल हो जायेगी।
- (12) कोई भी माता एवं पिता सदस्य एक से अधिक बार आम सभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका पाल्य उस विद्यालय में तत्समय अध्ययनरत हो।

- (13) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जाएगा तथा वे अगले तीन वर्षों के लिए इन पदों पर चुनाव हेतु आम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर अनर्ह घोषित कर दिये जाएंगे।
- (14) उपनियम (13) के अनुसार अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप हटाये जाने अथवा उनके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव, पद रिक्त होने की तिथि से एक माह के अन्तर्गत आम सभा की विशेष बैठक आहूत कर उपनियम (5) से (9) में उल्लिखित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किये जाएँगे। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा आम सभा के सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व लिखित सूचना दी जाएगी।
- (15) आम सभा की बैठकें वर्ष में निम्नवत् आयोजित की जायेंगी:-
- (एक) प्रथम बैठक शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह के अन्दर आयोजित की जाएगी;
- (दो) द्वितीय बैठक 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को आयोजित की जाएगी;
- (तीन) तृतीय बैठक शैक्षणिक सत्र समाप्ति एवं वार्षिक छात्र मूल्यांकन समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को आयोजित की जायेगी;
- (चार) आम सभा के पदाधिकारियों के पद किन्हीं कारणों से मध्यावधि में रिक्त होने अथवा विद्यालय हित में किसी प्रस्ताव पर आवश्यक विचार-विमर्श हेतु आम सभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा विशेष/आकस्मिक बैठक आयोजित करने हेतु अनुरोध किये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आम सभा की तीन से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।
- (16) आम सभा की सामान्य बैठक अथवा विशेष/आकस्मिक बैठक बुलाये जाने हेतु सदस्य सचिव द्वारा बैठक की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आम सभा के सभी सदस्यों को बैठक का एजेण्डा एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ लिखित रूप में प्रेषित की जाएँगी। व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिकोण से विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के माध्यम से भी उनके माता-पिता एवं अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। बैठक सम्बन्धी सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।
- (17) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा की सभी बैठकों में आम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम तीस प्रतिशत माता-पिता अथवा अभिभावक सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

- (18) आम सभा की बैठकों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यदि अपरिहार्य कारणों से बैठक की तिथि पर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा आमसभा की बैठक का संचालन किया जायेगा।
- (19) आम सभा विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास के किसी भी मामले में विचार-विमर्श/विशेषज्ञ परामर्श के लिए किसी विशेषज्ञ को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकती है (उदाहरणार्थ- विद्यालय के सेवित क्षेत्र में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कोई विख्यात शिक्षाविद्, शिक्षा हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि के सदस्य)। आम सभा की राय पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार सदस्य सचिव ऐसे सदस्यों को बैठक की तिथि पर उपस्थित होने हेतु लिखित रूप से आमंत्रित करेंगे, किन्तु आमंत्रित सदस्य को किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।
- (20) आम सभा की समय-समय पर आयोजित बैठकों से सम्बन्धित कार्यवृत्त एवं अभिलेखों का रख-रखाव सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा इन बैठकों में लिये गए निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।
- (21) विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा द्वारा विद्यालय की विद्यालय विकास योजना का निर्माण, वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन एवं विद्यालय विकास हेतु गत् वर्ष में किये गए कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय व्यय के सम्बन्ध में समीक्षा, विद्यालय कार्यप्रणाली में सुधार, पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा विद्यालयी शिक्षा विभाग/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति एवं निर्देशों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित बिन्दुओं को आवश्यकतानुसार बैठक के एजेण्डे में सम्मिलित किया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों को भी आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

21. विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद्:-

- (1) विद्यालय प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा आम सभा की बैठकों में लिए गए निर्णयों को समयान्तर्गत क्रियान्वित करने हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति की एक कार्यकारी परिषद् निम्नवत् गठित की जायेगी:-
- (एक) अध्यक्ष-पदेन अध्यक्ष आम सभा।
- (दो) सदस्य सचिव-पदेन सदस्य सचिव आम सभा।

- (तीन) सामान्य सदस्य-सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, उपप्रधान तथा वार्ड के निर्वाचित सदस्य जिसमें विद्यालय स्थित है, अथवा सम्बन्धित नगर निगम /नगर पालिका/नगर पंचायत के उस वार्ड के निर्वाचित सदस्य, जिसमें विद्यालय स्थित है
- (चार) सामान्य सदस्य- विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा की प्रथम बैठक में माता एवं पिता सदस्यों में से निम्नानुसार (जैसी भी स्थिति हो) निर्वाचित सदस्य होंगे:-
- (i) 60 अथवा कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में-08 निर्वाचित सदस्य।
 - (ii) 61 से 180 छात्र संख्या वाले विद्यालयों में-10 निर्वाचित सदस्य।
 - (iii) 181 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में-12 निर्वाचित सदस्य।
- (पाँच) सम्बन्धित ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव-पदेन सदस्य।
- (2) उपरोक्त सभी बातों के होते हुए भी विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद् में 50 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया जाएगा।
 - (3) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता कार्यकारी परिषद् में चुनकर नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आम सभा द्वारा उक्त वर्ग के बच्चों के माता-पिता में से प्रत्येक वर्ग के एक सदस्य को विशेष रूप से नामित किया जाएगा।
 - (4) विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद् की मासिक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को विद्यालय में मध्याह्न भोजन के उपरान्त अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। प्रथम शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में यह बैठक माह के प्रथम शुक्रवार को आयोजित की जाएगी।
 - (5) सदस्य सचिव द्वारा बैठक की सूचना एवं एजेण्डा सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (6) कार्यकारी परिषद् के 30 प्रतिशत से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर अध्यक्ष की अनुमति से आकस्मिक बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।
 - (7) विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारी परिषद् की बैठक में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक में 30 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति पर ही बैठक की गणपूर्ति/कोरम पूर्ण माना जाएगा।
 - (8) बैठक की कार्यवाही को सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ एक पंजिका में अभिलिखित किया जाएगा। कार्यकारी परिषद् की बैठक में

लिये गये प्रमुख निर्णयों को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी जन-सामान्य की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।

- (9) सदस्य सचिव द्वारा बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका एवं अभिलेखों का रख-रखाव किया जाएगा तथा किसी भी सदस्य द्वारा पंजिका/अभिलेखों के अवलोकन हेतु अनुरोध किए जाने पर सम्बन्धित अभिलेख उन्हें अवलोकित कराए जाएँगे।

22. विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्य एवं दायित्व:-

- (1) विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाएगा:-
- (अ) विद्यालय के क्रियाकलापों का अनुश्रवण;
- (ब) विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना एवं संस्तुति देना;
- (स) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में अनुश्रवण करना;
- (द) राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति एवं निर्देशों का सम्पादन करना।
- (2) उक्त के क्रम में कार्यकारी परिषद् विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा की ओर से निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करने के लिए अधिकृत होगी :-
- (एक) शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप आउट रोकने हेतु अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कदम उठाना;
- (दो) छात्र-छात्राओं की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन एवं प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा करना तथा निदानात्मक शिक्षा/विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु रणनीति तैयार करना;
- (तीन) विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना/लागू करना तथा उसका अनुश्रवण करना;
- (चार) सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान का नियमानुसार उपभोग सुनिश्चित करना;

- (पाँच) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निःशुल्क सुविधायें पात्र छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराना;
- (छः) मध्याह्न भोजन योजना का सुचारु रूप से क्रियान्वयन करना व भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित अनुश्रवण करना;
- (सात) विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए स्वच्छ पेयजल, समुचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा स्कूल परिक्षेत्र में पानी की उपलब्धता एवं शौचालयों की नियमित सफाई व रख-रखाव के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- (आठ) विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की नियमित स्वास्थ्य जाँच कराना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड तैयार करवाना;
- (नौ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिह्नंकन कर उनके लिए समेकित शिक्षा की व्यवस्था करना;
- (दस) विद्यालय में आयोजित होने वाले पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप यथा-बाल मेला, विज्ञान प्रदर्शनी तथा खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहभागी बनकर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना;
- (ग्यारह) निर्माण कार्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के अध्याय-I के प्रस्तर 1.9.8 तथा अध्याय-VII के प्रस्तर 7.1.6 तथा 7.1.7 में उल्लिखित प्रणाली के अनुसार प्रस्ताव पारित कर बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जायेगा;
- (बारह) विद्यालय भवन निर्माण, मरम्मत कार्य एवं अन्य निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करना;
- (तेरह) विद्यालय के लिए साज-सज्जा, फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था करना;
- (चौदह) विद्यालय अनुदान तथा रख-रखाव अनुदान के उपभोग का अनुश्रवण करना;
- (पन्द्रह) छात्र/छात्राओं में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विद्यालय में पुस्तकालय का विकास एवं समुचित उपयोग करवाना;
- (सोलह) विद्यालय प्रबन्धन समिति की वार्षिक रिपोर्ट को आम सभा में प्रस्तुत करना तथा उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति तथा विद्यालय को उपलब्ध करवाना;

(सत्रह) राज्य सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्यों को सम्पादित करना;

(अट्ठारह) विद्यालय में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों के अनुपस्थित एवं समयबद्ध न होने की स्थिति में ऐसे दृष्टान्तों को उप-खण्ड शिक्षाधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी को कार्यकारी परिषद की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 30 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित उप-खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह के अन्तर्गत जाँच कर आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी तथा एक प्रति सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति को भी प्रेषित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच आख्या के आधार पर दो माह के अन्तर्गत शिकायती प्रकरण का निस्तारण करते हुए सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति को भी सूचित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच आख्या के आधार पर शिक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक के विरुद्ध सुसंगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उप-खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जाँच से सन्तुष्ट न होने की दशा में विद्यालय प्रबन्धन समिति, कार्यकारी परिषद की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 30 प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात अध्यक्ष के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी अथवा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस0सी0पी0सी0आर0) के समक्ष अपील/प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगी;

(उन्नीस) अति दुर्गम/दुर्गम क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा उस विद्यालय में कार्यरत किसी शिक्षक द्वारा विद्यालय विकास एवं छात्रों के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को उन्नत करने हेतु किए गये विशेष प्रयासों के फलस्वरूप उस अध्यापक की लिखित सहमति पर उस विद्यालय से स्थानान्तरण न किये जाने हेतु अपनी अनुशंसा/संस्तुति सम्बन्धी प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर सकती है, जिस पर विभाग द्वारा सम्बन्धित शिक्षक का स्थानान्तरण राज्य

सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों से इत्र अगले एक सत्र तक के लिए स्थगित किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है; और

(बीस) सुगम क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय के शिक्षक के कार्य से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने की दशा में उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाएगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे मामलों को शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर छात्र मूल्यांकन परिणाम प्राप्त होने पर आयोजित होने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति की आमसभा की बैठक में ही लिया जा सकेगा।

23. विद्यालय प्रबन्धन समिति के वित्तीय संसाधन:

- (1) विद्यालय विकास हेतु वित्तीय संसाधन निम्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकेंगे:—
 - (एक) सरकार से प्राप्त अनुदान, विद्यालय अनुदान, रखरखाव अनुदान, भवन निर्माण/मरम्मत अनुदान अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य अनुदान;
 - (दो) गैर सरकारी संगठन अथवा स्थानीय निकायों से प्राप्त सहायता राशि;
 - (तीन) अभिभावकों/समुदाय द्वारा विद्यालय विकास हेतु प्रदान किया जाने वाला स्वैच्छिक चंदा; और
 - (चार) मेले अथवा अन्य सामुदायिक प्रयोजनों से प्राप्त शुल्क।
- (2) विद्यालय विकास हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री राज्य सरकार द्वारा प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत क्रय की जायेगी।
- (3) सदस्य सचिव द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति के वार्षिक लेखा-जोखा को आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा सोशल ऑडिट एवं सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था को सामान्य/विशेष ऑडिट हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) विद्यालय प्रबंधन समिति की निधि का एक बैंक खाता खोला जाएगा, जिसे कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जाएगा। अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव के बदले जाने की स्थिति में नये अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर बैंक को सूचित किए जायेंगे।

24. विद्यालय विकास योजना का निर्माण:—

- (1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 22 की उपधारा (1) के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया

जाएगा तथा इस प्रकार तैयार की गई योजना उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले योजनागत एवं अन्य अनुदानों के लिए आधार होगी। विद्यालय विकास योजना के निर्माण में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:-

- (एक) विद्यालय विकास योजना का निरूपण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से न्यूनतम 03 माह पूर्व कर लिया जायेगा;
 - (दो) विद्यालय विकास योजना 03 वर्ष हेतु तैयार की जायेगी तदनुसार प्रति वर्ष उप योजना के रूप में वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
- (2) विद्यालय विकास योजना में निम्नवत विवरण होंगे:-
- (क) प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित कक्षावार छात्र नामांकन;
 - (ख) विशिष्टीकृत मानकों के अनुरूप कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक-पृथक अध्यापक (प्रधानाध्यापक सहित), अतिरिक्त अध्यापक, विषय अध्यापक, अंशकालिक अध्यापकों की तीन वर्ष तक की अनुमानित संख्या का विवरण।
 - (ग) विशिष्टीकृत मानकों के अनुरूप तीन वर्षों में अतिरिक्त भौतिक आवश्यकता यथा भवन, उपकरण इत्यादि का विवरण;
 - (घ) बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराये जाने एवं आयु-संगत कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु तीन वर्ष के लिए वांछित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का वर्षवार विवरण दिया जायेगा, जिसमें अन्य वित्तीय संसाधन, जो अधिनियम में उल्लिखित दायित्वों की पूर्ति हेतु विद्यालय के लिए अपेक्षित होंगे, का विवरण भी सम्मिलित होगा।
- (3) विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबन्धन समिति की आम सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर के उपरान्त उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी जायेगी।

25. विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण:-

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालय प्रबन्धन समिति के आम सभा के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायेगा, ताकि विद्यालय प्रबन्धन में उनकी क्षमताओं का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके।

26. विद्यालय प्रबन्धन समिति के लिए प्रोत्साहन:-

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रोत्साहन योजना बनाई जायेगी तथा चिह्नित विद्यालय प्रबन्धन समिति को विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

27. विविध:-

- (1) राज्य सरकार को विद्यालय प्रबन्धन समिति के लिए निर्धारित नियमों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार होगा।
- (2) विद्यालय प्रबन्धन समिति ग्राम पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी होगी एवं आम सभा की बैठकों के कार्यवृत्त एवं वार्षिक आख्या अध्यक्ष आम सभा एवं सदस्य सचिव आम सभा के माध्यम से शिक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति को विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों का अनुश्रवण करने का अधिकार होगा।

भाग-6

अध्यापक

28. प्रारम्भिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता:

- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापकों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अध्यापक के रूप में नियुक्त होने हेतु अनिवार्य होगी।
- (2) उपनियम (1) में वर्णित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ़) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों पर भी प्रभावी होगी।

29. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट:

- (1) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उपखण्ड (चार) में संदर्भित ऐसे विद्यालय जो अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता में शिथिलता चाहते हैं वे नियमावली के लागू होने के 30 दिनों के अन्तर्गत **परिशिष्ट-पाँच** में निर्धारित **प्रपत्र-4** पर सूचनाएं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- (2) जिला शिक्षा अधिकारी नियम 1 में वर्णित **प्रपत्र-4** पर प्राप्त सूचना को संकलित कर प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्तर्गत निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे।

- (3) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उपनियम (2) में वर्णित सूचना को संकलित कर सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्तर्गत राज्य सरकार को उपलब्ध करायेंगे।
- (4) आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में शिथिलता हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध कर सकती है।

30. अध्यापकों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें:

राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें अध्यापकों से सम्बन्धित सेवा नियमावली तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ जारी अधिसूचनाओं के अनुसार शासित होंगी।

31. अध्यापकों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्य:-

- (1) प्रत्येक अध्यापक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) में निर्धारित समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (2) उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक बच्चे का संचयी अभिलेख व्यवस्थित करेगा जो कि अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में वर्णित प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र का आधार होगा।
- (3) अध्यापक प्रत्येक बच्चे की दक्षताओं का मूल्यांकन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में करेगा तथा ऐसे बच्चों जो कि अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाये हैं, हेतु ऐसे प्रत्येक विषय के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।
- (4) अध्यापक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्य पुस्तकों, प्रशिक्षण माड्यूलस तथा टी0एल0एम0 विकसित करने हेतु संकुल संसाधन केन्द्र/विकासखण्ड संसाधन केन्द्र/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में विद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलापों को निरन्तर बाधित किये बिना प्रतिभाग करेगा।
- (5) कोई भी अध्यापक बच्चों को अनुशासित करने के लिये बच्चे को शारीरिक दण्ड तथा मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं करेगा।
- (6) अध्यापक माता-पिता/अभिभावकों के साथ बच्चे की नियमित उपस्थिति, सीखने की दक्षता, अधिगम की प्रगति तथा बच्चे से सम्बन्धित अन्य आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करेगा।
- (7) प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त अधिगम वातावरण प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।
- (8) किसी भी बच्चे के साथ जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म तथा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

- (9) बच्चों में अपेक्षित मानव मूल्यों को विकसित करेगा।
- (10) शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा।
- (11) कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन में संलिप्त नहीं होंगे।

32. अध्यापकों की समस्या निवारण की व्यवस्था:

- (1) शासकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की समस्याओं के निवारण उन पर लागू सेवा नियमावली के अनुसार किये जायेंगे।
- (2) प्रत्येक असहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों के अध्यापकों की समस्या निवारण हेतु इन विद्यालयों की विद्यालय प्रबन्धन समिति, जिला शिक्षा अधिकारी को अध्यापकों की समस्या निवारण प्रक्रिया उपलब्ध करायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्या निवारण पद्धति उपयुक्त है तथा शिकायतों के निवारण हेतु प्रभावी है।

33. प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात सुनिश्चित करना:

- (1) जिला शिक्षाधिकारी अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित है, नियमावली के प्रवृत्त होने के अधिकतम तीन माह के अन्तर्गत अधिसूचित करेंगे।
- (2) जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक वर्ष 30 मई से पूर्व अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक छात्र अनुपात को अधिसूचित तथा सार्वजनिक करेंगे तथा तदनुसार जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह तक अध्यापकों की पुर्नपदस्थापना सुनिश्चित कर सकेंगे।

भाग-7

प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या और उसका पूरा किया जाना

34. शैक्षणिक प्राधिकारी:-

- (1) अधिनियम की धारा 29 के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन विधि का निर्धारण राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा।
- (2) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में विहित पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन विधि के अतिरिक्त अकादमिक प्राधिकारी निम्न हेतु भी उत्तरदायी होगा-
 - (क) राष्ट्रीय/राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा में निहित निर्देशों के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार करना;

- (ख) कक्षावार तथा आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना;
 - (ग) प्रत्येक कक्षा एवं प्रत्येक विषय हेतु अपेक्षित अधिगम सम्प्राप्ति को परिभाषित करना तथा इन परिणामों के आधार पर पाठ्य-पुस्तकों तथा अधिगम सामग्री निर्धारित करना;
 - (घ) सेवा पूर्व प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को समय-समय पर संवर्द्धित करना;
 - (ङ) सुसंगत सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण करना;
 - (च) कक्षा-1 से 8 तक की सभी कक्षाओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू करने हेतु उपयुक्त निर्देशिका तैयार करना।
- (3) राज्य सरकारी एवं सहायता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालयों के बच्चों की अधिगम निष्पत्ति के अनुश्रवण हेतु अधिकारी की नियुक्ति करेगा। नियुक्त अधिकारी मूल्यांकन उपकरण के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता पर विकासखण्डवार वार्षिक स्थिति पत्रक का प्रकाशन करेगा।
- (4) पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों में दिये गये दिशा निर्देशों में विद्यालयों को इस बात की पूर्ण स्वायत्तता देने का उल्लेख होगा, जिसमें वे अपनी स्थानीयता एवं विशिष्टता के अनुसार गुणात्मक शिक्षा हेतु शिक्षण विधि या स्थानीय अध्ययन सामग्री का भी चयन कर सकें। यह प्रयोगों एवं नवाचारों को बढ़ावा देगा।

35. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र:

- (1) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र विद्यालय स्तर से शैक्षिक सत्र के अन्तिम दिवस से पूर्व **परिशिष्ट-छः** पर संलग्न निर्धारित **प्रपत्र-5** पर निर्गत किया जाएगा।
- (2) प्रमाण-पत्र में बच्चे का क्रमागत अभिलेख उल्लिखित होगा साथ ही पाठ्यचर्या तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में बच्चे की उपलब्धियों का भी उल्लेख होगा।
- (3) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र हेतु प्रपत्र का निर्माण करेगा, तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करायेगा।
- (4) उपनियम (1) में वर्णित प्रमाण पत्र को जारी करने से पूर्व विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त कर लिया गया है।

भाग-8

बाल अधिकारों का संरक्षण

36. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्रियाकलाप:

- (1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में वर्णित प्राविधानों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के लिए कदम उठा सकती है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन न होने की स्थिति में राज्य सरकार अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए इस नियमावली के प्रवृत्त होने के छः माह के अन्तर्गत शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण के रूप में ज्ञात एक अन्तरिम प्राधिकरण (जिसे इस नियम में इसके पश्चात आरईपीए कहा गया है) का गठन करेगी।
- (2) शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण (आरईपीए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-
 - (क) अध्यक्ष, जो उच्च शैक्षणिक ख्याति का व्यक्ति हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या जिसने बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है; और
 - (ख) दो सदस्य, जिनमें से निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक महिला होगी और वे सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो प्रख्यात, योग्य, विश्वसनीय, गणमान्य हैं और जिनको निम्नलिखित में अनुभव है—
 - (एक) शिक्षा;
 - (दो) बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल विकास;
 - (तीन) किशोर न्याय या उपेक्षित या निम्नवर्गीय या निःशक्त बाल देखभाल;
 - (चार) बाल श्रमिक उन्मूलन या व्यथित बच्चों के साथ कार्य करना;
 - (पाँच) बाल मनोविज्ञान या सामाजिक शास्त्र;
 - (छः) विधिक वृत्ति।
- (3) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तुरन्त पश्चात आरईपीए के सभी अभिलेख और आस्तियाँ उसे अन्तरित हो जायेंगी।
- (4) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या आरईपीए अपने कार्यों के निर्वहन में राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर भी कार्यवाही कर सकेगा।

37. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सम्मुख शिकायतें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

- (1) यथास्थिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् आरईपीए कहा गया है) द्वारा बाल हेल्पलाइन स्थापित की जायेगी जो प्रत्येक विकासखण्ड में एस0एम0एस0, पत्र, दूरभाष, इन्टरनेट अथवा हेल्प डेस्क के माध्यम से सर्वसुलभ होगी तथा जिसके माध्यम से पीड़ित बच्चा/माता-पिता/अभिभावक/व्यक्ति अधिनियम में विहित अधिकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता की पहचान अभिलिखित की जायेगी किन्तु उसे प्रकट नहीं किया जायेगा।
- (2) बाल हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों का पारदर्शिता, "सतर्क एवं त्वरित कार्यवाही" के माध्यम से अनुश्रवण किया जायेगा, जैसा कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विहित किया जाये।

38. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन एवं कार्य:

- (1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के प्राविधानानुसार अधिसूचना जारी कर राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद् का गठन करेगी।
- (2) राज्य सरकार में विद्यालयी शिक्षा के मंत्री परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- (3) राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से परिषद् के सदस्यों को निम्नवत नामित किया जायेगा—
 - (क) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 01 सदस्य;
 - (ख) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के 01 सदस्य;
 - (ग) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 01 सदस्य;
 - (घ) पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त 01 सदस्य;
 - (ङ) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त 01 सदस्य;
 - (च) प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन के 01 सदस्य;
 - (छ) परिषद् में निम्नांकित सदस्य पदेन सदस्य होंगे—
 - (एक) सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन;
 - (दो) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड;

- (तीन) सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन;
(चार) सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन;
(पाँच) सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन;
(छः) राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्;
और
(सात) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(आठ) अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।
- (4) राज्य सलाहकार परिषद् में नामित सभी सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।
- (5) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड परिषद् के सदस्य सचिव होंगे। राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड राज्य सलाहकार परिषद् की बैठकों का आयोजन करेंगे।
- (6) राज्य सलाहकार परिषद् की बैठक प्रत्येक त्रैमास में होगी तथा परिषद् उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा नियमावली के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।
- (7) कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में ही बैठक की गणपूर्ति/कोरम पूर्ण माना जायेगा।
- (8) परिषद् का पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जायेगा।
- (9) परिषद् के नामित सदस्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित यात्रा व दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (10) राज्य सलाहकार परिषद् का कार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को परामर्श देना होगा।

आज्ञा से

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार)
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

परिशिष्ट-एक

प्रपत्र-1

विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह-आवेदन पत्र

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 के उपनियम (2) को देखें

(स्थान)

दिनांक:

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,

जनपद-.....

उत्तराखण्ड।

महोदय,

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में वर्णित मानक एवं मानदण्डों के आलोक में मैं एक स्वघोषणा करता/करती हूँ एवं विहित प्रपत्र में (विद्यालय का नाम एवं पता)..... की मान्यता हेतु आवेदन प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

स्थान:

दिनांक:

भवदीय

संलग्नकों का विवरण:

प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष/
व्यवस्थापक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्वघोषणा-प्रपत्र

(क) विद्यालय-विवरण		
1	विद्यालय का नाम	
2	शैक्षिक सत्र	
3	जनपद	
4	पत्राचार का पता	
5	वार्ड	
6	गाँव/नगर	
7	तहसील	
8	पिन कोड	
9	दूरभाष सं० एस०टी०डी० कोड के साथ	
10	फैक्स न०	
11	ई-मेल पता (यदि हो)	
12	निकटतम पुलिस स्टेशन	

(ख) सामान्य सूचनाएँ		
1	स्थापना का वर्ष	
2	पहली बार विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि	
3	ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति का नाम	
4	ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति का पंजीकरण संख्या (पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करें)	
5	ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति के पंजीकरण की वैधता अवधि(पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करें)	
6	क्या ट्रस्ट/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति के गैर मालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की पुष्टि हेतु सदस्यों की सूची एवं पता शपथ पत्र के रूप में संलग्न है? (संलग्न संख्या-)	
7	विद्यालय के सचिव/अध्यक्ष/प्रबन्धक के कार्यालय का	

	पता	
	नाम	
	पदनाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या	(कार्यालय) (आवास)
	ई-मेल पता	
8	अन्तिम तीन वर्षों के कुल आय एवं व्यय (बचत/घाटा)	
	वर्ष	आय
		व्यय
		बचत / घाटा

(ग) विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र	
1	शिक्षण का माध्यम
2	विद्यालय का प्रकार (प्रथम एवं अन्तिम कक्षा का उल्लेख करें)
3	यदि सहायता प्राप्त है, तो सहायता प्रदत्त करने वाली संस्था का नाम एवं सहायता का प्रतिशत
4	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है?
5	क्या विद्यालय भवन/अन्य आधारभूत संरचनाएँ/मैदान केवल शिक्षा और कौशल के विकास के लिए उपयोग की जाती हैं?
6	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल
7	निर्मित भवन का क्षेत्रफल
8	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या-क्या सुविधाएँ/संरचनाएँ उपलब्ध हैं?
9	क्या विद्यालय राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रियायती दर पर भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण कुछ बच्चों को निःशुल्क

	शिक्षा प्रदान करता है?	
10	यदि हाँ, तो अभिलेख संलग्न करें (संलग्नक संख्या)	

(घ) नामांकन की स्थिति

	कक्षा	अनुभाग की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	छात्र शिक्षक अनुपात
1	पूर्व प्राथमिक			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

(च) आधारभूत संरचना तथा स्वच्छता सुविधाओं का विवरण

	कक्ष	संख्या	औसत आकार
1	कक्षा-कक्ष		
2	कार्यालय सह भण्डार सह प्रधानाध्यापक कक्ष		
3	रसोईघर-सह-भंडार		
4	खेल का मैदान		

(छ) अन्य सुविधाएँ

1	क्या सभी सुविधायें अवरोध रहित पहुँच के अन्तर्गत हैं	
2	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3	खेल-कूद सामग्री (सूची संलग्न करें)	
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा	

	पुस्तकों की संख्या पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	
5	शिक्षकों हेतु संदर्भ सामग्री	
6	प्रयोगशाला उपकरण	
7	कम्प्यूटर संख्या	
8	पेयजल सुविधा के प्रकार एवं संख्या-टैंक संख्या, बिजली व्यवस्था	
9	स्वच्छता की स्थिति	
	(i) डब्लू0सी0 और शौचालय का प्रकार	
	(ii) बालको के लिए अलग शौचालय की संख्या	
	(iii) बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की संख्या	
10	निःशक्त बच्चों हेतु व्यवस्था	
	(i) रैम्प एवं रेलिंग	
	(ii) विशेष शौचालय	
11	अग्नि से बचाव से व्यवस्था	

(ज) काष्ठोपकरण एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति										
कक्षावार उपलब्धता की स्थिति										
क्र० सं०	विवरण	पूर्व प्राथमिक	1	2	3	4	5	6	7	8
1	फर्नीचर-कुर्सी/बैंच/डेस्क									
2	दरी/चटाई									
3	शिक्षकों हेतु फर्नीचर/दरी									
4	बोर्ड									
5	बाल श्यामपट्ट									
6	कूड़ादान									
7	शीशा									

8	पंखे								
9	बल्ब								
10	नोटिस बोर्ड								
11	बुलेटन बोर्ड								

(झ) शिक्षकों का विवरण			
1	केवल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों का विवरण (प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग-अलग)		
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति/पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक योग्यता (4)	प्रशिक्षण योग्यता (5)	शैक्षणिक अनुभव (6)
	किन कक्षाओं में पढ़ाते हैं (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2	प्रारम्भिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का विवरण (प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग-अलग)		
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति/पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक योग्यता (4)	प्रशिक्षण योग्यता (5)	शैक्षणिक अनुभव (6)
	किन कक्षाओं में पढ़ाते हैं (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
3	प्रधानाध्यापक		
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति/पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक योग्यता (4)	प्रशिक्षण योग्यता (5)	शैक्षणिक अनुभव (6)
	कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

कृपया 1, 2 तथा 3 के मामले में यथा उपयुक्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें। (संलग्नक संख्या)

(ज)		पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम							
1	पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का विवरण, जो प्रत्येक कक्षा में पालन किया जाता है (कक्षा 8 तक)								
2	छात्रों के आकलन की पद्धति								
3	क्या विद्यालय के छात्रों को कक्षा-8 तक किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है?								
(ट)		कक्षावार प्रतिछात्र शुल्क							
कक्षा	पूर्व प्राथमिक	1	2	3	4	5	6	7	8
अधिकतम शुल्क									

नोट:— उपरोक्तानुसार घोषित राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। विद्यालय को प्रत्येक प्रकार का शुल्क स्पष्ट रूप से भरना होगा।

(ठ).	निकटवर्ती सेवित क्षेत्र जैसा कि खण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, का विवरण—(धारा 12 के खण्ड (ग) की प्रतिपूर्ति हेतु)	
(ड)	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है	
	यदि हाँ, तो किस प्राधिकारी द्वारा	
	● पंजीकरण संख्या	

नोट:— बिन्दु ड में उल्लिखित सूचना मात्र संदर्भ हेतु है। राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वधारी अथवा नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत मान्यता हेतु आवेदन करना होगा, चाहे विद्यालय पूर्व से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं है।

ढ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डायस) में उल्लिखित किया गया है।

त. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।

थ. प्रमाणित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर माँगे जाने वाले प्रतिवेदन एवं सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकारी अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा, उसका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के

निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप में विद्यमान कमियों को दूर करने हेतु निरंतर प्रयास करेगा।

- द. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के लिए आवश्यक अभिलेख जैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हों, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा, जिससे केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/पंचायत/नगर निगम (जो भी लागू हों) के प्रति जवाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।
- घ. विद्यालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
- न. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे संज्ञान में सही हैं।

ह0/—
प्रबंधन समिति के अध्यक्ष
व्यवस्थापक

परिशिष्ट- दो

प्रपत्र-2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 के उपनियम (5) को देखें

ई-मेल:

दूरभाष:

फैक्स:

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(जनपद का नाम) उत्तराखण्ड

पत्रांक:-

दिनांक.....

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

.....(विद्यालय का नाम)

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांकऔर उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता), कक्षा से तक संचालन हेतु पाँच वर्षों से अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे-
 - (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;
 - (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - (पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;
 - (छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित

न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;

(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और

(आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा—
 - विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
 - कुल निर्मित क्षेत्र;
 - खेल के मैदान का क्षेत्र;
 - कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;
 - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;
 - पेयजल की सुविधा;
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
 - बाधारहित पहुँच;
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. **परिशिष्ट-चार** के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी

परिशिष्ट-तीन

प्रपत्र-3

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) को देखें

ई-मेल:

दूरभाष:

फैक्स:

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(जनपद का नाम) उत्तराखण्ड

पत्रांक:-

दिनांक.....

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

.....(विद्यालय का नाम)

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांकऔर उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता), कक्षा से तक संचालन हेतु तीन वर्ष से अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे-
 - (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;
 - (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - (पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;

- (छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
- (सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
- (आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा—
- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
 - कुल निर्मित क्षेत्र;
 - खेल के मैदान का क्षेत्र;
 - कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;
 - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;
 - पेयजल की सुविधा;
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
 - बाधारहित पहुँच;
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या..... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. **परिशिष्ट-चार** के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी

परिशिष्ट- चार

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (5) को देखें

मान्यता हेतु शर्तें:

मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है—

- (क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 की संख्या 21) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है;
- (ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु संचालित नहीं हो रहा है;
- (ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित है;
- (घ) विद्यालय भवन या अन्य ढाँचागत सुविधायें या प्रांगण मात्र शैक्षिक प्रयोजनों तथा दक्षता विकास हेतु प्रयुक्त किया जाता है;
- (ङ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है;
- (च) विद्यालय ऐसे समस्त विवरण एवं सूचनायें उपलब्ध करायेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकृत अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माँगी जायेगी। साथ ही विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने अथवा मान्यता की शर्तों की अनवरत् पूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा;
- (छ) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 एवं अनुसूची में निहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा;
- (ज) विद्यालय अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के समस्त प्राविधानों का पालन करेगा;
- (झ) विद्यालय अपने पढ़ोस के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा (कक्षा-1 की कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटों के समतुल्य) की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों

की सीमा तक प्रवेश देगा। सहायता प्राप्त विद्यालय उनको प्राप्त वार्षिक आवर्ती सहायता के अनुपात में अथवा कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करेगा;

- (ज) ऐसे विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत अपने निकट (पड़ोस) के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षाएं कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश प्रदान करेंगे;
- (ट) प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को बच्चों से प्रभारित की जाने वाले शुल्क का विवरण उपलब्ध करायेंगे;
- (ठ) विद्यालय बच्चों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क प्रभारित नहीं करेंगे तथा बच्चों के प्रवेश के समय बच्चे अथवा उसके माता-पिता अथवा अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे;
- (ड) मान्यता प्रदान की जाने वाली शर्तों का उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर दी जायेगी;
- (ढ) विद्यालय प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर के आधार पर डायस प्रपत्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

परिशिष्ट-पाँच

प्रपत्र-4

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 29 के उपनियम (1) को देखें

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शिथिलता चाहने हेतु सूचनाएं

I-अध्यापक माँग					
A	कक्षा-1 से 5 तक के लिए अध्यापक माँग (30.09.2010 के अनुसार)	राजकीय / स्थानीय निकाय के विद्यालय	सहायता प्राप्त विद्यालय	असहायता प्राप्त / निजी विद्यालय	योग
(i)	स्वीकृत संख्या				
(ii)	वास्तविक / कार्यरत संख्या				
(iii)	रिक्तियाँ [A(i)-A(ii)]				
(iv)	आर0टी0ई0 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पी0टी0आर0 मानक के अनुसार अतिरिक्त अध्यापकों की माँग।				
(v)	कक्षा-1 से 5 तक कुल अध्यापकों की माँग [A(iii)+A(v)]				
B	कक्षा-6 से 8 तक के लिए अध्यापक माँग (30.09.2010 के अनुसार)	राजकीय / स्थानीय निकाय के विद्यालय	सहायता प्राप्त विद्यालय	असहायता प्राप्त / निजी विद्यालय	योग
(i)	स्वीकृत संख्या				
(ii)	वास्तविक / कार्यरत संख्या				
(iii)	रिक्तियाँ [B(i)-B(ii)]				
(iv)	आर0टी0ई0 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पी0टी0आर0 मानक के अनुसार अतिरिक्त अध्यापकों की माँग।				
(v)	कक्षा-6 से 8 तक कुल अध्यापकों की माँग [B(iii)+B(v)]				

परिशिष्ट-छः

प्रपत्र-5

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-35 के उपनियम (1) को देखें

..... (विद्यालय का नाम)

जनपद:- उत्तराखण्ड

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्री पुत्री/पुत्र श्रीमती
.....(माता का नाम) एवं श्री(पिता का नाम) निवासी
..... जिनकी जन्म
तिथि है, ने इस विद्यालय में शैक्षिक सत्र
से शैक्षिक सत्र तक अध्ययन किया है। उक्त विद्यार्थी ने प्रारम्भिक शिक्षा वर्ष
..... में पूर्ण की है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विद्यार्थी ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के अनुसार निर्धारित पाठ्यचर्या को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

तिथि:-

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

विद्यालय की मुहर

मान्यता क्रमांक(निजी विद्यालयों हेतु)